राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग

क्रमांक : प.7(1)प्रा.शि./आयो./2021पार्ट जयपुर, दिनांक : 01.02.2022

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

विषय :— माननीय उच्च न्यायालय की एस. बी. सिविल याचिका द्वारा पारित निर्णय के अधीन निजी संस्थाओं में काउन्सलिंग आदि प्रक्रिया सम्पादित कराने के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के पत्र क्रमांकः शिविरा/प्रारं./शिप्र/4485/काउन्सलिंग/2021—22 दिनांक 28.01.2022 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश/अंतरिम आदेश दिनांकः 28.10.2021, 20.11.2021, 21.12.2021 एवं 06.01.2022 की अनुपालना में निम्नांकित संस्थाओं को वर्ष 2021—22 में काउन्सलिंग में शामिल किये जाने के प्रशासनिक निर्णय के अन्तर्गत नियमानुसार काउन्सलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाना है—

क्र. सं.	न्यायालय	रिट संख्या	अपील कर्त्ता
1.	उच्च न्यायालय	एस. बी. सिविल याचिका संख्या—16217/2021 निर्णय दिनांकः 20.11.2021	विश्व भारती एस.टी.सी. कॉलेज
2.	उच्च न्यायालय	एस. बी. सिविल याचिका संख्या—16244/2021 निर्णय दिनांकः 20.11.2021	विनायक कॉलेज, सीकर
3.	उच्च न्यायालय	एस. बी. सिविल याचिका संख्या—16211/2021 निर्णय दिनांकः 20.11.2021	अन्नपूर्णा बी.एस.टी.सी. स्कूल
4.	उच्च न्यायालय	एस. बी. सिविल याचिका संख्या—16202/ 2021 निर्णय दिनांकः 20.11.2021	H.B. भंसाली टी.टी. स्कूल
5.	उच्च न्यायालय	एस. बी. सिविल याचिका संख्या—16215/2021 निर्णय दिनांकः 20.11.2021	स्वामी विवेकानन्द टीचर ट्रेनिंग कॉलेज
6.	उच्च न्यायालय	एस. बी. सिविल याचिका संख्या—15133/2021 निर्णय दिनांकः 28.10.2021	वर्धमान शिक्षक महाविद्यालय
7.	उच्च न्यायालय	एस. बी. सिविल याचिका संख्या—15379/2021 निर्णय दिनांकः 21.12.2021	दर्शन बी.एड. कॉलेज
8.	उच्च न्यायालय	एस. बी. सिविल याचिका संख्या—17959/2021 निर्णय दिनांकः 21.12.2021	श्रीनाथ बी.एस.टी.सी. स्कूल
9.	उच्च न्यायालय	एस. बी. सिविल याचिका संख्या—307/2022 निर्णय दिनांकः 06.01.2022	ग्लोबल एज्यूकेशन इंस्टिट्यूट, सांचोर

अतः उक्त क्रम संख्या 1 से 7 में उल्लेखित संस्थाओं को उनकी याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्याधीन प्रावधिक रूप से तथा क्रम संख्या 8 व 9 में उल्लेखित संस्थाओं के संबंध में उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांकः 21.12.2021 एवं 06.01.2022 की पालना, समान प्रकरण धापू बाई एवं महावीर जैन नो—अपील के निर्णय के तहत सत्र 2021—22 की काउन्सलिंग में सम्मिलित करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही करावें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय

(संजय माथुर)
शासन उप सचिव

मुख्य भवन, कमरा नं. 1208, शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष नं. 0141—2227888 **e-mail ID-dseepjpr@gmail.com**
D:\Work from 14-03-2018\letter.docx

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
4. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर/जोधपुर।
6. संबंधित याचिकाकर्त्ता/संस्था ....
7. रक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार गहनोलिया)
शासन सहायक सचिव